प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2022

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जहॉगीर उर्फ गुड्डू पुत्र श्री आशिक अली, निवासी जनपद-सन्त रविदास नगर भदोही की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13048/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 16.03.2022, दिनांक 21.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जहॉगीर उर्फ गुड्डू पुत्र श्री आशिक अली, जो ग्राम-जद्दूपुर, थाना-चौरी, जनपद-सन्त रविदास नगर भदोही का निवासी है। बन्दी द्वारा नाली बनाने के विवाद को लेकर दिनांक 24.11.1998 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गड़ासा से मारकर हाजी अब्दुल खालिद नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-31/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0 सी0, कोर्ट सं0-02, भदोही-ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 31.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.05.2018 द्वारा यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 05.02.2022 तक 14 वर्ष 07 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 05 माह 22 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट@पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार न किये जाने, पुन: अपराध करने की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की उम्र 48 वर्ष होने, तथा जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रि0) संख्या-37139/2018 जहॉगीर उर्फ गुड्डू बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.04.2021 में मा0 न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

After having heard learned counsel for the petitioner and on perusal of the record of the case, we are not inclined to interfere with the impugned order passed by the High Court. The special leave petition is accordingly, dismissed.

At this stage, learned counsel for the petitioner submits that the petitioner has undergone jail sentence of more than 13 years.

In view of the above, the petitioner is permitted to file a representation before the competent authority for remission. In case a representation for remission is filed, the competent authority is directed to consider the same in accordance with law within a period of three months from the date of its filing.

Pending applications, if any, also stand disposed of.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अत: विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-37139/2018 जहॉगीर उर्फ गुड्डू बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 29.04.2021 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जहॉगीर उर्फ गुड्डू (बन्दी संख्या-371/2009) पुत्र श्री आशिक अली, निवासी जनपद-सन्त रविदास नगर भदोही की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-31/2022/1247(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-PID:52385/2021 IN SLP(CRL) NO 3519/2021 (SEC II) , दिनांक 30.04.2021 के सन्दर्भ में।
2- जिला मजिस्ट्रेट, भदोही।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।